संख्या-206/2021/1195 /23-9-2021-01नाबार्ड(स0मा0)/2020

प्रेषक,

महेश कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सिद्धार्थनगर एवं रायबरेली ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

**विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महादेय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या-1102/2ए-21, दिनांक 04.12.2021 एवं जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या-1730/8ए, दिनांक 20.09.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद सिद्धार्थनगर एवं रायबरेली के 06 चालू कार्यों हेतु तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 3,20,98,000/- (रूपये तीन करोड़ बीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | कार्य का नाम | शासनादेश संख्या | स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में) | स्वीकृत लागत | बचत की धनराशि | बचत की धनराशि के उपरान्त कार्य की कुल लागत | अब तक आवंटन | आवंटन हेतु देय अवशेष | वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | सिद्धार्थ नगर | बी .बी.आई.टी. -.मार्ग किमी 13 से जीवपुर बालेजिनवा से अमघाटी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 10/2018/111/ 23-9-2018-07नाबार्ड (स0मा0)/2018, दि0 12.03.2018 | 4.00 | 322.21 | 8.38 | 313.83 | 233.71 | 80.12 | 80.12 |

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | कार्य का नाम | शासनादेश संख्या | स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में) | स्वीकृत लागत | बचत की धनराशि | बचत की धनराशि के उपरान्त कार्य की कुल लागत | अब तक आवंटन | आवंटन हेतु देय अवशेष | वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | सिद्धार्थ नगर | बांसी इटवा मार्ग के किमी 1 से दांयी तरफ जनियाजोत मार्ग के किमी 1 से बांयी तरफ बड़हर घाट से हयातनगर बंजरही सम्पर्क मार्ग का निर्माण | 74/2020/425/ 23-9-2020-12नाबार्ड(स0मा0)/2019, दिनांक 27.03.2020 | 3.30 | 222.76 | 0.00 | 222.76 | 77.48 | 145.28 | 145.28 |
| 3 | राय बरेली | रायबरेली-सुल्तानपुर मार्ग (रा0म0) के किमी0 08 से पूरे भुजवन सं0 मार्ग वाया पूरे दयाल सं0 मार्ग | 75/2018/ 1106/23-9-2018-08 नाबार्ड (स0मा0)/2018 टी0सी0, दि0 05.11.2018 | 1.85 | 101.02 | 0.89 | 100.13 | 60.61 | 39.52 | 39.52 |
| 4 | राय बरेली | बछरावां मौरावां (अ0जि0म0) किमी0 10 से सुरौली मार्ग किमी0 1 से मदारखेड़ा सम्पर्क मार्ग। | 75/2018/ 1106/23-9-2018-08 नाबार्ड (स0मा0)/2018 टी0सी0, दि0 05.11.2018 | 1.00 | 38.56 | 0.82 | 37.74 | 23.13 | 14.61 | 14.61 |
| 5 | राय बरेली | बछरावां मौरावां (अ0जि0म0) किमी0 5 से शेखपुर समौधा मार्ग किमी0 5 से बल्दीखेड़ा सम्पर्क मार्ग। | 75/2018/ 1106/23-9-2018-08 नाबार्ड (स0मा0)/2018 टी0सी0, दि0 05.11.2018 | 1.00 | 50.66 | 0.84 | 49.82 | 30.39 | 19.43 | 19.43 |

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | कार्य का नाम | शासनादेश संख्या | स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में) | स्वीकृत लागत | बचत की धनराशि | बचत की धनराशि के उपरान्त कार्य की कुल लागत | अब तक आवंटन | आवंटन हेतु देय अवशेष | वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | राय बरेली | रायबरेली-परशदेपुर मार्ग (अ0जि0म0) के किमी0 12 से पूरे पासिन सं0 मार्ग वाया खुरेहटी सं0 मार्ग | 75/2018/1106/23-9-2018-08 नाबार्ड (स0मा0)/2018 टी0सी0, दि0 05.11.2018 | 1.10 | 57.25 | 0.88 | 56.37 | 34.35 | 22.02 | 22.02 |
| | | | **कुल योग-** | **12.25** | **792.46** | **11.81** | **780.65** | **459.67** | **320.98** | **320.98** |

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजना पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट एवं गुणवत्तायुक्त पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

4- विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर धनराशि नाबार्ड की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-27-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( महेश कुमार )
विशेष सचिव

**संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज / संबंधित मण्डलायुक्त ।
2- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, / वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन ।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता /कोषाधिकारी ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

( राजेन्द्र प्रसाद )
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।